

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269761
SG-DL-E-01022026-269761

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 443

No. 29]

DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

[N. C. T. D. No. 443

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मण्डलायुक्त

(राजस्व विभाग)

(जनगणना शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जनवरी, 2026

फ. सं. 36 (146)/ जनगणना/ मण्डलायुक्त/2025/958.—दिनांक 29/01/2026 भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2/1/60 — जुडल-2 दिनांक 20 अप्रैल, 1960 के साथ पठित जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 के उपनियम (iii) के तहत, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 07 जनवरी, 2026 को सहर्ष पुनः प्रकाशित करते हैं:-

का.आ. 99(अ). — कंद्रीय सरकार, जनगणना नियम 1990 के नियम 6क और नियम 6घ के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 और धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 9 जनवरी, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 119(अ) तारीख 7 जनवरी, 2020 को उन बातों के

सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2027 में संबंधित मकानसूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल, 2026 से 30 सितंबर, 2026 के बीच भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के दौरान किया जाएगा। स्व-गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो कि तीस दिन की घर-घर जाकर मकानसूचीकरण का कार्य आरंभ होने से ठीक पहले पंद्रह दिन की समयावधि में संचालित किया जाएगा।

[फा. सं. 9/8/2025-सीडी (सीडीएन)]
मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महाराजिस्ट्रार
और जनगणना आयुक्त

आदेश एवं उपराज्यपाल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के नाम से,
नीरज सेमवाल, सचिव

OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER

(Revenue Department)

(CENSUS BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 29th January, 2026

F. No. 36(146)/Census/Div.Comm./2025/958.— Dated: 29/01/2026 In pursuance of the provision contained in sub-rule (iii) of Rule 8 of Census Rule, 1990 read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. 2/1/60-Judl.II dated the 20 April, 1960, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to republish the following notification of Govt. of India, Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General India), New Delhi dated 7th January, 2026.

S.O. 99(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 and section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rules 6A and 6D of the Census Rules, 1990 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General, India) number S.O. 119(E), dated the 7th January, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th January, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby declares that the houselisting operations of the Census of India 2027 shall take place between 1st April, 2026 and 30th September, 2026 in all States and Union territories in India during the period of thirty days specified by each State and Union territory. There shall also be an option for self-enumeration which shall be conducted in fifteen days' time period just before the start of house to house houselisting operations of thirty days.

[F. No: 9/8/2025-CD (Cen))
MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Registrar General and
Census Commissioner, India

By Order and in The Name of Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

NEERAJ SEMWAL, Secy.